भाग-III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 मई, 2010

संख्या का० आ० 68/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2010.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 3/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2010, दिनांक 02-04-2010, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : —

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में, नियम 11 में ;—

(क) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

" (5) धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन पंजीकरण के लिए कोई आवेदन व्यवहारी द्वारा प्ररूप वैट क-I में समुचित निर्धारण प्राधिकारी को , अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए उसके दायी होने से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और वह आयुक्त द्वारा यथा निदेशित वैट क-I में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों या कोई अन्य दस्तावेज/पहचान चिह्न लगाएगा :—

(i) पंजीकरण फीस के मद्दे एक सौ रुपये की राशि सरकारी राजकोष में जमा करवाकर प्राप्त की गई खजाना रसीद या प्रार्थना-पत्र पर चिपकाई गई एक सौ रुपये की न्यायालय फीस स्टैम्पस ;

(ii) नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो और (क) स्वत्वधारीत्व की दशा में स्वत्वधारी :

(ख) भागीदारी फर्म की दशा में सभी भागीदार ; (ग) अविभाजित हिन्दु परिवार की दशा में कर्ता; (घ) सोसाइटी की दशा में कारबार का प्रबन्ध करने

वाला सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अधिकारी; (ङ) कम्पनी की दशा में, कम्पनी का कारबार प्रबन्ध करने वाला कम्पनी का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक या मुख्य अधिकारी; (च) सरकारी विभाग की दशा में, विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में कल्ब के सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत या कल्ब के कामकाज का प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति के पहचान का सबूत/पहचान सबूत में फोटो सहित वर्तमान वोटर आई०डी० कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड या फोटो सहित ड्राइविंग लाइसैंस या बैंक पासबुक या फोटो सहित सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज हो ;

(iii) कारबार परिसर में मिली हुई भूमि के अग्रभाग की फोटो इसकी उचित अवस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बाईं तथा दाईं तरफ पर कारबार परिसर के भाग पर चित्रित हो ;

(आवेदक द्वारा फोटो हस्ताक्षरित होनी चाहिए)

(iv) आवेदक के लिए खड़े व्यक्ति (यों) की नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो (ज़) जो कि राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक/बैंक मैनेजर द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो ;

(v) कारबार जिसके लिए पंजीकरण हेतु आवेदन दिया है, के आय कर विभाग द्वारा जारी स्थाई लेखा संख्या की सत्यापित प्रति ;

(vi) कारबार परिसर की रैन्ट डीड की सत्यापित प्रति यदि ये किराए पर लिया गया है या स्वत्वधारी/अविभाजित हिन्दु परिवार/फर्म/कम्पनी/व्यक्तियों के संगम इत्यादि द्वारा स्वत: स्वामित्वाधीन है तो हक विलेख की सत्यापित प्रति ;

(ख) उप-नियम (7) में,—

(i) ''I'' चिह्न के स्थान पर ";'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) उप-नियम (7) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् : —

'' परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, सम्बन्धित कार्यालय में पंजीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर प्ररूप वैट क-I में प्राप्त आवेदन का निपटारा करेगा ।''।

3. उक्त नियमों में, नियम 20 में :—

(क) विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

'' (3) कर के भुगतान पर राज्य में अन्य वैट व्यवहारी से काराधेय माल का क्रय करने वाला कोई वैट व्यवहारी ऐसे माल के सम्बन्ध में निवेश कर के अपने दावे

के समर्थन में, विक्रेता वैट व्यवहारी द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया प्ररूप वैट ग-4 में एक प्रमाण-पत्र कर बीजक सहित कराधेय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जब उस द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए। विक्रेता वैट व्यवहारी तथा कराधेय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा करने पर उसको प्रस्तुत की जाने वाली ऐसे प्रमाण-पत्र की दोहरी प्रति अपने पास रखेगा, एक रजिस्टर में जब कभी वह उससे अपेक्षा करे इन प्रमाण-पत्रों का सही रिकार्ड को रखेगा तथा प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़ते क्रम में मुद्रित क्रम संख्या में जारी किए जाएंगे।'';

(ख) विद्यमान उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

'' (4) कर बीजक पर विक्रेता वैट व्यवहारी का, अन्य वैट व्यवहारी को उस द्वारा माल के विक्रय पर कर भुगतान का दायित्व समाप्त नहीं होगा यदि वह क्रय कर रहे वैट व्यवहारी को पूर्वगामी उप-नियम में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल है या झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तथा इस कारण के लिए कर बाद वाले से वसूल कर लिया जाता है किन्तु यदि विक्रेता वैट व्यवहारी उसको देय कर बाद में भुगतान कर देता है, तो क्रय कर रहे वैट व्यवहारी का दायित्व तद्नुसार समाप्त हो जाएगा तथा वह ऐसे देयों की वसूली के तीन वर्षों के भीतर उसके द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता है।''

4. उक्त नियमों में, नियम 25 में :—

(क) विद्यमान उपबन्ध उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ;

(ख) पुन: संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात् : —

'' (2) (क) कार्य संविदा अथवा जॉब वर्क के निष्पादन से निकाले आवर्त के मामले में कराधेय आवर्त दर्शाने वाली राशि में से श्रम, सेवाओं की ओर प्रभार और अन्य प्रभार इसके अध्यधीन कि व्यवहारी उचित अभिलेख जैसा कि बीजक वाउचर, चालान अथवा कर लगाने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु प्रभार के भुगतान का सबूत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज रखता है, के प्रभार निकाले जाएंगे ;

(ख) उप-नियम (2) में, खण्ड (क) के प्रयोजन हेतु श्रम, सेवाएं और अन्य समान प्रभारों की ओर निम्नलिखित प्रभार शामिल होंगे : —

(i) कार्यों निष्पादन हेतु श्रम सेवाओं की ओर प्रभार ;

(ii) योजना और वास्तुशिल्पियों की फीस के लिए प्रभार ;

(iii) कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयोग में आने वाले उपभोग जैसा कि जल, विद्युत, ईंधन इत्यादि सम्पति जो कार्य संविदा के निष्पादन के सिलसिले में

अन्तरित न हो, की लागत ;

(iv) उस सीमा तक जहां तक श्रम और सेवाएं जारी रखने का सम्बन्ध है, संविदाकार की स्थापना की लागत;

(v) श्रम और सेवाओं से सम्बन्धित अन्य समान खर्च ;

(vi) कार्य स्थलों के लाभ तथा हानि के खाते प्रस्तुत करने के अध्यधीन श्रम और सेवाएं जहां तक ये संविदाकार द्वारा अर्जित किये गए लाभ से सम्बन्धित है :

परन्तु जहां श्रम, सेवाओं के प्रभार की राशि तथा अन्य दूसरे प्रभार व्यवहारी के खाता किताबों से निश्चेय नहीं होते या व्यवहारी ऐसे प्रभारों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे प्रभारों की राशि नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट मूल्यवान प्रतिफल की प्रतिशतता पर संगणित की जाएगी :—

तालिका

संकर्म संविदा या जॉब वर्क के लिए प्रतिशतता

क्रम संख्या	संविदा के प्रकार	श्रम, सेवा तथा अन्य प्रभारों के कुल मूल्य की संविदा, प्रतिशतता के रूप में
1	2	3
1.	प्लांट तथा मशीनरी के निर्माण तथा स्थापना	पच्चीस प्रतिशत
2.	आयरन ट्रयसिस, पूरलियोनस तथा उसी प्रकार की पूर्ति तथा निर्माण सहित लोहे तथा स्टील संकर्म संरचना का निर्माण तथा पुन:	पन्द्रह प्रतिशत
3.	भारी वस्तुओं को हटाने तथा उठाने वाले यन्त्र का निर्माण तथा स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
4.	वस्तुओं को ऊपर उठाने तथा नीचे लाने वाले यन्त्र का निर्माण तथा स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
5.	एक तरफ मुड़ने और सुकुड़ने वाले दरवाजों का निर्माण तथा स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
6.	सिविल संकर्म जैसे कि इमारतों, पुलों, सड़कों, बान्धों, सीवरेज, नहरों और नालों के निर्माण पर	पच्चीस प्रतिशत

1	2	3
7.	दरवाजों, चौखटें, खिड़कियों, फ्रेम तथा ग्रील स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
8.	टाईल्स, स्लैब, पत्थर तथा सीटों की पूर्ति करना	बीस प्रतिशत
9.	एयर कन्डिशन तथा एयर कूलर की पूर्ति तथा स्थापना तथा जोड़ना	पन्द्रह प्रतिशत
10.	वातानुकूलक यन्त्र जिसमें डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज प्लांट हयूमीडिफिकेशन प्लांट तथा डि-हूमीडरस सम्मिलित हों, की पूर्ति तथा स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
11.	बिजली के समान फिटिंग, आपूर्ति और बिजली के उपकरणों ट्रांसफार्मर सहित की स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
12.	आन्तरिक सजावट और झूठी सिलिंग के लिए ठेके सहित फर्नीचर और फिक्चर, पार्टीशनज की आपूर्ति	पन्द्रह प्रतिशत
13.	रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए परिवहन के अधीन रेल कोच और वैगनों का निर्माण	बीस प्रतिशत
14.	मोटर वाहन की बाडीज के निर्माण तथा ट्रेलरों के निर्माण	बीस प्रतिशत
15.	नलसाजी और जल निकासी या सीवरेज के लिए सेनेटरी फिटिंग	पच्चीस प्रतिशत
16.	भूमिगत सतह पर डाली जाने वाली पाईप लाईन,केवल या जल प्रणाली	तीस प्रतिशत
17.	वस्त्रों की डाईंग और छपाई	तीस प्रतिशत
18.	भार तोलक यन्त्रों की आपूर्ति	पन्द्रह प्रतिशत
19.	रंगसाजी, पॉलिश करने तथा सफेदी करने के कार्यों पर	तीस प्रतिशत
20.	टायर को फिर से चलाने योग्य बनाने	चालीस प्रतिशत
21.	फोटोग्राफी और मुद्रण संविदाएं	तीस प्रतिशत
22.	इलैक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो गालवेनाइजिंग और एनोडाइजिंग तथा उसी प्रकार के	चालीस प्रतिशत
23.	उपरोक्त सभी अन्य संविदाएं जो क्रम संख्या 1 से 22 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं	बीस प्रतिशत

परन्तु जहां व्यवहारी श्रम, सेवाओं तथा अन्य उसी प्रकार के प्रभारों के मद्दे को खाते में कटौती का दावा ऊपर तालिका में विनिर्दिष्ट मूल्यवान प्रतिफल प्रतिशतता (कुल संविदा का मूल्य) से अधिक कर लगाने के लिए निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी को लिखित रूप में दावा स्वीकार करने के लिए कारणों को अभिलिखित करना होगा। ''।

5. उक्त नियमों में, विद्यामान प्ररूप वैट ग-4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"प्ररूप वैट ग-4

[देखिए नियम 20 (1), (2), (3)]

प्रमाण-पत्र

धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन निवेश कर के दावे के लिए करयोग्य माल के सम्बन्ध में क्रय कर रहे वैट व्यवहारी को विक्रय कर रहे वैट व्यवहारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम----------(विक्रय कर रहे व्यवहारी का नाम और पूरा पता) करदाता पहचान संख्या (टिन) ----------, ------- जिले में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन पंजीकृत हैं ने,

(i) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत टी आर संख्या ----- दिनांक ----------द्वारा पूरी राशि अदा कर दी है

(ii) मैसर्ज ----------(विक्रय कर रहे व्यवहारी का नाम और पूरा पता) टिन----------द्वारा मैसर्ज----------(क्रय कर रहे व्यवहारी का नाम व पूरा पता) टिन---------- को बेचे गये माल पर अदा किए गए निवेश कर का समायोजन नीचे दर्शाये गए कर बीजकों के अनुसार कर दिया है :—

क्रम संख्या	बेचे गए माल का विवरण	कर बीजक संख्या	दिनांक	करयोग्य राशि	कर की राशि
कुल					

1. कुल करयोग्य राशि ----------
2. कुल कर राशि ----------

स्थान ----------
तारीख----------

विक्रय कर रहे वैट व्यवहारी के हस्ताक्षर
नाम----------
हैसियत ----------
कार्यालय

व्यवहारी की मोहर

टिप्पण : 1. मूल प्रति विक्रेता व्यवहारी द्वारा क्रय व्यवहारी को जारी की जाए।
2. छाया प्रति विक्रय करने वाले वैट व्यवहारी द्वारा रखी जाएगी।
3. जो लागू न हो काट दिया जाये। "।

रमेन्द्र जाखू ,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग। ।